

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

in the Court of. मोहित परसाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट,
जिला-अलीराजपुर (म.प्र.)

अपराध क्रमांक:- 338/2022

Case No.----- of 2022

Name and address of the Complainant म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र- चं.शे. आ.प्र.नगर

Complaint or report made on 12/10/2022

Name, parentage, caste and address of accused

अभियुक्त का नाम:- मंगलिका पिता छुसिह कनेश उम- उन वर्ष
नि. बडा आकरा

The offence complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक-9/10/22 को लगभग समय:-9/10/22 के 19:00 बजे आरक्षी
केन्द्र-चं.शे. आ.प्र.नगर के अन्तर्गत लोक स्थान पर आ.प्र.नगर में
देशी/विदेशी शराब को अवैध रूप से स्वयं के आधिपत्य में रखी, जो धारा-34 (1)(ए) म.प्र.
आबकारी अधिनियम की धारा के अंतर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के संज्ञानांतर्गत है।

(मोहित परसाई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जोबट,
जिला-अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

The plea of the accused and his examination (if any)-

आप अपराध स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो, अभिवाक करो।

प्रतिरक्षा

ममालीय

(मोहित परसाई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जोबट
जिला-अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

The offence proved, if any, and in case under clause (d) clause (e) clause (f) or clause (g) of Sub-section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 12 / 10 / 2022 को घोषित किया गया)

- 1- आरक्षी केन्द्र ~~प.प. शा.प्रा.प.प.प.~~ के अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा-34 (1)(ए) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग है।
- 2- अभियुक्त को उक्त आरोप समरी शीट पर विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उसने अपराध को स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया अभियुक्त का अभिवाक अंकित किया गया। स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा-34 (1)(ए) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध पाया गया है।
- 3- अभियुक्त ने सहज रूप से अपराध स्वीकार किया है। उसका यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त की दशा और अपराध के स्वभाव को दृष्टिगत रखते हुए धारा-34(1)(ए) म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 4000/- रुपये (अक्षरीय: चार हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 4- अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को व्यतिक्रमस्वरूप पृथक से 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताये जाने हेतु आदेशित किया गया।
- 5- प्रकरण में जप्तशुदा साब. विभाग को लौट जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(मोहित परसाई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जोबट, जिला-अलीराजपुर म.प्र.

(मोहित परसाई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जोबट, जिला-अलीराजपुर म.प्र.